

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0. 25 /2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 16th अगस्त, 2017

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 19 के उप नियम (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 474(अ), दिनांक 26 जून, 2001 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0.45/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 जून, 2001 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) शर्तों एवं रक्षोपाय से संबंधित पैराग्राफ 1 में, क्रम संख्या (1) के समक्ष स्पष्टीकरण को "स्पष्टीकरण I" के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस रूप में पुनःक्रमांकित निम्नलिखित स्पष्टीकरण को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण II: भूटान में माल के निर्यात हेतु, माल के लिए भुगतान भारतीय रुपए में प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे अदायगी को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में माना जाएगा"।

(ii) प्रक्रिया से संबंधित पैराग्राफ 2 में, क्रम संख्या (3) के समक्ष, मद (i) में " साथ ही बैंक प्रमाणपत्र के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति के विषय में साक्ष्य" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों और अंकों अर्थात् "भूटान के मामले में, यह भारतीय रुपयों में है," सम्मिलित किया जाएगा।

(फा.सं0.201/08/2010-सी एक्स-6)

(शंकर प्रसाद शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना सं0. 45/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.नि. 474(अ), दिनांक 26 जून, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया और अधिसूचना सं0. 03/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 3 फरवरी, 2016 सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 2016 के तहत उसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।